

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राज., जयपुर

क्रमांक: एफ.4(II)पौ.सं./तक-II/दर अनु./2018-19/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, समस्त

47205-434

दिनांक : 8/3/19

परियोजना निदेशक, सी.ए.डी.  
कोटा

उप निदेशक, कृषि (विस्तार)  
इ.गा.न.प. बीकानेर

विषय :- विभागीय कार्यक्रमों में वर्ष 2018-19 हेतु पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/फेरोमोन ट्रेप/ल्यूसिड/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक/जैविक खाद आदि हेतु अनुमोदित दरों की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- आयुक्तालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 33933-34128 दिनांक 18.10.2018 एवं 38613-38829 दिनांक 12.12.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा कृषि विभाग की विभिन्न योजनान्तर्गत अनुदान पर पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/फेरोमोन ट्रेप/ल्यूसिड/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक/जैविक खाद आदि कृषकों को विभागीय दिशा निर्देशानुसार अनुदान पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्पादवार न्यूनतम दरों का अनुमोदन किया गया था, जो दिनांक 31.03.2019 तक ही वैध है। कृषक हित में विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के मद्देनजर बोली दस्तावेजों के बिन्दु संख्या 26 की शर्त अनुसार पंजीकृत फर्मों एवं उनके उत्पादों की दरों की वैधता अवधि अपरिहार्य कारणों से दिनांक 30 जून, 2019 अथवा नया दर अनुबन्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है। आदान आपूर्ति हेतु पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जावेंगे।


  
(विकास सीतारामजी भाले)  
आयुक्त, कृषि

क्रमांक : एफ-4( )पौ.सं./तक-II/दर अनु./2018-19/  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

47205-434

दिनांक : 8/3/19

1. विशिष्ट सहायक, मा0 कृषि मंत्री एवं पशुपालन मंत्री/मा0 पंचायतीराज मंत्री, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को भेजकर आग्रह है कि उक्त आदानों का वितरण क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा किये जाने हेतु समुचित निर्देश जारी करने का श्रम करावें तथा सहकारी समितियों को संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद द्वारा प्रेषित मांग के अनुसार आदानों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करावें।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजफैड, भवानी सिंह रोड़, जयपुर।
7. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर .....
9. निदेशक, उद्यान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान/विस्तार/अनुसंधान/एनएमओओपी) मुख्यालय जयपुर।
11. समस्त ऐरिया आफिसर्स एवं संयुक्त निदेशक कृषि (रसायन/योजना/उर्वरक/पौध संरक्षण/गु. नि./ज.उ.प्र./शस्य एटीसी/प्र.एवं मू./सांख्यिकी)/उप निदेशक कृषि (अभियांत्रिकी, सूचना, विस्तार, चारा विकास)
12. उप सचिव, किसान आयोग, पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड समस्त
14. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त
15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
16. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), समस्त
17. सम्बन्धित निर्माता मैसर्स .....

  
संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं)